बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–2–245/2019 1211 /पटना, दिनांक :– 18-7-22

श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल अन्तर्गत पान बिगहा भाया बम्बई से बासन बिगहा पथ की तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पी0सी0सी0 पथ का कंक्रिट कार्य निम्न विशिष्टि का कराने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2687 दिनांक 28.08.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 04.10.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित की गई जिसकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गई। उक्त समीक्षा में यह पाया गया कि पथ में पी0सी0सी0 कार्य कराने के पूर्व पी0सी0सी0 में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों से मिक्स डिजाइन Test क्षेत्रीय प्रयोगशाला में किया जाता है। इस तरह का जॉच कराये जाने का कोई प्रतिवेदन आरोपी अभियंता द्वारा न उपलब्ध कराया गया है न कराये जाने का जिक्र अपने स्पष्टीकरण में किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इस मामले में हुई वित्तीय क्षति की आकलन कर समानुपातिक रूप से श्री कुमार से रू0 238958/– रूपये की वसूली करने का निर्णय लिया गया। अतएव उक्त राशि की वसूली के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 1629 दिनांक 07.10.2020 द्वारा श्री कुमार से बचाव बयान की मांग की गई।

3. श्री कुमार द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 10.11.2020 के माध्यम से समर्पित बचाव बयान में निगरानी विभाग द्वारा कराये गये पी0सी0सी0 पथ में कंक्रीट कार्य के प्रयोगशाला जॉचफल की प्रमाणिकता को पूर्णतः संदेहास्पद बताया गया। इसी मामले में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा अपने बचाव बयान में यह स्वीकार किया गया था कि कार्य सम्पादन हेतु निर्माण सामग्रियों का आपूर्ति संबंधित संवेदक द्वारा स्थानीय बाजार से किया गया था। समय अभाव के कारण निर्माण सामग्रियों एवं पी0सी0सी0 मोर्टार की गुणवत्ता जॉच नहीं हुई थी।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री अजय कुमार के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रासंगिक मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14 (iii) के तहत लघुदण्ड के रूप में वर्गीकृत वित्तीय क्षति की आकलित राशि 238958/–की वसूली उनके वेतन से करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14 (iii) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) वित्तीय क्षति की आकलित राशि 2,38,958/–की वेतन से वसूली।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/7/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@n

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–245/2019 1212 /पटना, दिनांकः– 18-7-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशना प्रेषित।

13/7/2022
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–245/2019 1212 /पटना, दिनांकः– 18-7-22

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्मा भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/2022
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–245/2019 1212 /पटना, दिनांकः– 18-7-22

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अरवल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री अजय कुमार तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/2022
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–245/2019 1212 /पटना, दिनांकः– 18-

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/7/2022
विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih